एयू और ओयू से दो डिग्रियों की पढ़ाई कर रहे छात्र की याचिका कोर्ट ने की खारिज

हाई कोर्ट का टाइम टेबल बदलने के निर्देश देने से इनकार, एक ही परीक्षा दे सकेगा छात्र

लीगलरिपोर्टर | बिलासपुर

हाई कोर्ट ने दो अलग-अलग यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़ाई कर रहे छात्र की याचिका खारिज कर दी है। याचिका में छात्र ने परीक्षा के लिए जारी टाइम टेबल में बदलाव कर दोनों डिग्रियों की परीक्षाएं अलग-अलग तारीखों पर आयोजित करने की मांग की थी। जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच ने इसे खारिज करते हुए कहा कि ऐसी राहत रिट याचिका के माध्यम से नहीं दी जा सकती।

बिलासपुर के कोनी में रहने वाला सत्येन्द्र प्रकाश सूर्यवंशी पं. सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी से एमएसडब्ल्यू और अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से एलएलबी की पढ़ाई कर रहा है। दोनों यूनिवर्सिटी ने परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया है। दोनों पाठ्यक्रमों की फाइनल एग्जाम एक ही समय पर पड़ रहे हैं। इस पर उसने हाई कोर्ट में याचिका लगाई। बताया कि एक ही समय पर परीक्षा लेने से उसे परेशानी होगी। उसने हाई कोर्ट से टाइम टेबल में संशोधन के लिए निर्देश देने की मांग की थी।

हाई कोर्ट ने कहा- स्पष्ट हैं नियम

हाई कोर्ट ने फैसले में कहा है कि यूजीसी की गाइडलाइन और राज्य सरकार की नीति के बावजूद परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव कराना कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। ऐसे मामलों में संस्थानों के निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती जब तक कि कोई स्पष्ट गैरकानूनी कार्य न हो।

यूजीसी ने दो परीक्षा की अनुमति दी

उसने तर्क दिया कि यूजीसी ने दो डिग्रियां एक साथ करने की अनुमति दे दी है। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के लिए टास्क फोर्स भी बनाई है। लेकिन विश्वविद्यालयों की उदासीनता और समन्वय की कमी के कारण उसे परीक्षा देने में दिक्कत हो रही है। इससे उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन हो रहा है।